

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस इलाहाबाद

पत्र सं०-2015/6640/ald/Allahabad/78/DD

दिनांक जनवरी, १३, 2015

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (त०स०-2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद।

विषय: बंगला नं-1 लूकरगंज, इलाहाबाद पर दाखिल समूह आवास मानचित्र पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-34/प्र०अ०-भवन/गु०हा०/जोन-2/2014-15 दिनांक 02.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा श्री प्रदीप कुमार कनोडिया एवं सुनील कनोडिया डायरेक्टर इलाहाबाद मीलिंग कंपनी प्रा० लि० एवं पार्टनर विवान्ता डेवलपर द्वारा बंगला नं-1 लूकरगंज, इलाहाबाद पर दाखिल समूह आवास मानचित्र पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अपेक्षा की गयी है। इस पत्र के क्रम में प्रश्नगत समूह आवास मानचित्र एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन, इलाहाबाद द्वारा कराया गया। इनसे प्राप्त आख्या का परिशीलन सुसंगत मानकों के अनुसार मेरे द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

भवन की संरचना-

1. कुल भूखण्ड एरिया- 7317.45 वर्ग मी०
2. भूतल कवर्ड एरिया (स्टिल्ट फ्लोर ब्लाक ए+बी+सी)-2620.37 वर्ग मी०
ब्लाक ए-775.03 वर्ग मी० ब्लाक बी-730 वर्ग मी० ब्लाक सी०-1115.34 वर्ग मी०
3. प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया (प्रत्येक तलवार विवरण)

Handwritten signature/initials

	प्रथम तल	द्वितीय तल	तृतीय तल	चतुर्थ तल	पंचम तल
ब्लाक-ए	775.03 वर्ग मी०	775.03 वर्ग मी०	775.03 वर्ग मी०	775.03 वर्ग मी०	-
ब्लाक-बी	730 वर्ग मी०	730 वर्ग मी०	730 वर्ग मी०	730 वर्ग मी०	-
ब्लाक-सी	1115.34 वर्ग मी०	1115.34 वर्ग मी०	1115.34 वर्ग मी०	1115.34 वर्ग मी०	836.42 वर्ग मी०
कुल योग	2620.37 वर्ग मी०	2620.37 वर्ग मी०	2620.37 वर्ग मी०	2620.37 वर्ग मी०	836.42 वर्ग मी०

4. वेसमेंट कवर्ड एरिया- निल
5. भवन की ऊँचाई- ब्लाक ए एवं ब्लाक बी- 14.94 मी०
ब्लाक सी० 17.94 मी०
6. भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन एन०बी०सी०-2005 के अनुसार आवासी समूह के ए-4 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

ढांचागत व्यवस्था

1. पहुँच मार्ग- प्रस्तावित भवन के मानचित्र में सड़क की चौड़ाई 12.5 मी० है।
2. प्रवेश द्वार- मानक के अनुसार है।
3. सेट बैक- प्रस्तावित भवन का सेट बैक निम्नवत है-
अग्रभाग- 06 मी०
पृष्ठभाग- 06 मी०
पार्श्व प्रथम- 06 मी०
पार्श्व द्वितीय- 06 मी०
प्रश्नगत भवन का सेट बैक भवन नियमावली के अनुसार है। सेट बैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सेट बैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

[Handwritten signature]

4. निकास मार्ग- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में 2 स्टेयर केस जिनकी चौड़ाई 1.5 मी० प्राविधान किया गया है जिनका फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।


अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1. होजरील-प्रस्तावित भवन के ब्लाक-ए ब्लाक-बी व ब्लाक-सी में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई०एस०-3844 मानकों के अनुसार प्रावधानित किया जाय।
2. वेटराइजर/डाउनकमर- प्रस्तावित भवन के ब्लाक-ए, ब्लाक-बी व ब्लाक-सी में डाउन कमर सिस्टम, एन०बी०सी०- 2005 के मानकों के अनुरूप प्रावधानित किया जाय।
3. हस्त चलित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम- प्रस्तावित भवन के ब्लाक-ए, ब्लाक-बी व ब्लाक-सी में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधानित किया जाय।
4. टेरिस टैंक-प्रस्तावित भवन के ब्लाक-ए, ब्लाक-बी व बलाक-सी में टेरिस पर टेरिस टैंक 25000 ली० क्षमता का प्राविधानित किया जाय।
5. टेरिस पम्प- प्रस्तावित भवन के ब्लाक-ए, ब्लाक-बी व ब्लाक-सी में टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प 900 एलपीएम क्षमता का प्रावधानित किया जाय।
6. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)- प्रस्तावित भवन के ब्लाक-ए, ब्लाक-बी व ब्लाक-सी में फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०-2190 के अनुसार मानकों के अनुरूप प्रावधानित किया जाय।
7. एग्जिट साईनेज- सम्पूर्ण भवन के ब्लाक-ए, ब्लाक-बी व ब्लाक-सी में एग्जिट साईनेज स्थापित किया जाना अपेक्षित है।
8. पी०ए० सिस्टम-पी०ए० सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन के ब्लाक-ए, ब्लाक-बी व ब्लाक-सी में प्राविधानित किया जाय।

2/10
C.F.C.

अतः उपरोक्तानुसार श्री प्रदीप कुमार कनोडिया एवं श्री सुनील कनोडिया डायरेक्टर इलाहाबाद मीलिंग कम्पनी प्रा० लि० एवं पार्टनर विवान्ता डेवलपर द्वारा बंगला नं० 1 लूकरगंज इलाहाबाद पर दाखिल प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे, तथा भवन/इकाई के निर्माणोपरान्त भवन/इकाई का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन/इकाई निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


23/11/15
(आई०के० तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कृते-उपनिदेशक फा०स०इला०

प्रतिलिपि:

1. आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
2. अग्निशमन अधिकारी, सिविल लाइन्स को सूचनार्थ।

✓
(आई०के० तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कृते-उपनिदेशक फा०स०इला०